पटना में दिनांक–21 दिसम्बर, 2016 बुधवार को अपराह्न 04:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	गृह विभाग (आरक्षी शाखा)	
1.	बिहार पुलिस में अनुबंध पर कार्यरत सैप (स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस) कर्मियों के मासिक मानदेय में बढ़ोत्तरी यथा :– जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर का मानदेय रू० 18000 से 20700 (अठारह हजार से बीस हजार सात सौ) सैप जवानों का मानदेय रू० 15000 से 17250 (पन्द्रह हजार से सत्रह हजार दो सौ पचास) एवं रसोईया का मानदेय रू० 11400 से 13110 (ग्यारह हजार चार सौ से तेरह हजार एक सौ दस) के संबंध में।	1. स्वीकृत।
	पथ निर्माण विभाग	
2.	पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता (असैनिक), वेतनमान पी०बी०–3 (15600–39100/–) एवं ग्रेड पे 6600/–के पद से अधीक्षण अभियंता (असैनिक), वेतनमान पी०बी०–4 (37400–67000/–) एवं ग्रेड पे 8700/–के पद पर प्रोन्नति एवं प्रोन्नति हेतु सूचीकरण (पैनल) के संबंध में।	2. स्वीकृत।
	सामान्य प्रशासन विभाग	
3.	श्री हृदय नारायण पाण्डेय, तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश का शुद्धि पत्र।	3. स्वीकृत।
	सामान्य प्रशासन विभाग	
4.	बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ACP), 2003, एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (MACP), 2010 के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन (पे–बैंड ₹ 15,600–39,100/–, ग्रेड पे ₹ 7,600/–) का लाभ प्रदान करने के संबंध में।	4. स्वीकृत।
	गन्ना उद्योग विभाग	
5.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal Nos.-3937-3938/2011 में दिनांक–16.02.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार राज्य चीनी निगम के अधीन बंद इकाइयों को लम्बी अवधि की लीज पर हस्तांतरण के क्रम में मौसमी कर्मियों (Seasonal Workers) के लिए पुनरीक्षित Exit Settlement Plan की स्वीकृति।	5. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

6.	बिहार नगरपालिका पदाधिकारी एवं कर्मचारी पेंशन नियमावली (1987) में संशोधन के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(समाज कल्याण निदेशालय)

7.	बिहार राज्य समाज कल्याण बोर्ड के मुख्यालय को दिनांक–31.03.2017 के पश्चात् समाप्त करने के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

8.	डा० अश्विनी कुमार सिंह, तत्कालीन चि० पदा०, प्रा० स्वा० केन्द्र, नरहट, नवादा को वर्ष 1992 से लगातार पाँच वर्षों से अधिक तक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव।	8.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

9.	डा० ठाकुर अशोक कुमार प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, कटैया, गोपालगंज को वर्ष– 2004 से लगातार पाँच वर्षों से अधिक अवधि तक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव।	9.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11.	भागलपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर अंचल के मौजा–कनकैंथी, थाना सं०–272, खाता सं०–315, खेसरा सं०–22, 29, रकबा–4.30 एकड़ गैरमजरूआ बिहार सरकार पुरानी परती भूमि 36,400/–रू० प्रति डिसमिल की दर से 1,56,52,000/–(एक करोड़ छप्पन लाख बावन हजार) रू० सलामी तथा सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात 1,95,65,000/–(एक करोड़ पनचान्वे लाख पैंसठ हजार) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल–3,52,17,000/–(तीन करोड़ बावन लाख सतरह हजार) रू० के भुगतान पर 132/33 के०भी० विद्युत सब–स्टेशन की स्थापना हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

12. बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम 2002 एवं संशोधन अधिनियम 2013 की धारा 3(2) में संशोधन करते हुए सभी जिलों के पुलिस निरीक्षकों को भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अनुसंधान किये जाने हेतु प्राधिकृत करने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

वित्त विभाग

13. बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम 2002, के धारा–3 एवं 9 में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त मॉडल पीआईडी अधिनियम के महत्त्वपूर्ण अंशों को अन्तः स्थापन एवं संशोधन करने के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

वित्त विभाग

14. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति, राज्य कर्मियों को वेतन/भत्तों पर अनुशंसा देने हेतु राज्य वेतन आयोग के गठन के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

15. CWJC No. 273/2016 Bihar State Sugar Corporation Ltd. V/s Union of India & Others में दिनांक–04.07.2016 को पारित आदेश के आलोक में 7.50% सेवा कर की राशि मो० 1,09,47,097.50 रू० (एक करोड़ नौ लाख सैंतालीस हजार सन्तानवें रू० पचास पैसे मात्र) की स्वीकृति के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

16. राज्य के 21 ANM स्कूल, 6 GNM स्कूल तथा 1 स्टेट नोडल सेन्टर (SNC) में स्थापित वर्चुअल क्लासरूम में इंटरनेट कनेक्शन के साथ CEED Box के वार्षिक रख रखाव हेतु प्रति वर्ष रू० 76.503 लाख (छिहत्तर लाख पचास हजार तीन सौ पचहत्तर रूपये) के वार्षिक व्यय पर मनोनयन के आधार पर बाह्य एजेंसी (Nichepro) का चयन करने की स्वीकृति। — 16. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

17. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत 'देशी चिकित्सा निदेशालय' के पुर्नगठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु निदेशक (आयुर्वेद)/निदेशक (होमियोपैथिक)/निदेशक (यूनानी) के 3 पदों के साथ कुल 09 पदों के सृजन के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

18. डॉ० जहिरूल हक, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, देवपुरा, बखरी, बेगुसराय को वर्ष 2000 से लगातार पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। 18. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

19. डॉ० मंजू भदानी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, बरौनी, बेगुसराय को वर्ष 2001 से लगातार पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। 19. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(सिविल विमानन निदेशालय)

20. सिविल विमानन निदेशालय के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2016–17 में गैर योजनान्तर्गत पाँच वर्षों के लिए एक नया (7+2 Seater) हेलिकॉप्टर का Wet-Lease पर अधिप्राप्ति के क्रम में पाँच वर्षों के लिए कुल ₹ 93,15,00,000 (तिरानवे करोड़ पन्द्रह लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। 20. स्वीकृत।